न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 56/2016 – निगरानी

1. जगदीश धाकड़ पुत्र हजारी धाकड़ निवासी भगवानपुरा तहसील जहाजपुर	बनाम	1. ग्राम पंचायत रोंपा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रोंपा, 2. ग्राम पंचायत रोंपा, जरिये सचिव ग्राम पंचायत रोंपा, 3. ग्राम पंचायत फलासिया, जरिये सरपंच फलासिया 4. ग्राम पंचायत फलासिया, जरिये सचिव फलासिया 5. घीसा धाकड़ पुत्र गौरू धाकड निवासी भगवानपुरा 6. कैलाश धाकड पुत्र छगना धाकड निवासी भगवानपुरा 7. महावीर पुत्र छगना धाकड निवासी भगवानपुरा 8. कनीराम पुत्र छगना धाकड़ निवासी भगवानपुरा 9. शंकर धाकड़ पुत्र छगना धाकड निवासी भगवानपुरा 10. शान्ति धाकड पुत्री छगना धाकड निवासी भगवानपुरा 11. श्रीमती गलकु देवी पत्नी छगना धाकड निवासी भगवानपुरा 12. सकराम धाकड पुत्र गोरू धाकड निवासी भगवानपुरा तहसील जहाजपुर
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत रोपां पंचायत समिति जहाजपुर तहसील जहाजपुर पटट सं. 06 दिनांक 09.09. 1958

उपस्थित –

1. श्री विकास जायसवाल अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री जे.सी.दाधीच अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 05 से 09 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 31.07.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत रोपां द्वारा नपति 100 फीट बाई 142 फीट कुल क्षेत्रफल 14200 वर्गफीट का आवासीय भूमि का पटटा गैर निगराकार सं. 05 से लगायत 12 के पूर्वज गौरू धाकड़ के पक्ष में जारी किया गया जो निगराकार की पैतृक जायदाद होकर निगराकार का भी उक्त जायदाद में 28 बाई 100 फीट पर विगत 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा हैं। इस आधार पर ग्राम पंचायत रोपां द्वारा जारी उक्त पटटा खारिज किये जाने योग्य हैं। निगराकार ने अपने हक हिस्से की जायदाद में पक्का निर्माण करवा रखा हैं। उक्त जारीशुदा पटटे की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किये जाने पर ग्राम पंचायत रोपां द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया कि " गोरू पिता रूघनाथ धाकड निवासी भगवानपुरा ग्राम पंचायत रोपा बापी पटटा कमांक 06 दिनांक 09.09.1958 पत्रावली क्रमांक / 16 ग्राम पंचायत रोपा द्वारा जारी किया हुआ है। उसकी पत्रावली उक्त कार्यालय में नही मिली।

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

उक्त वर्ष की रोकड़ बही भी प्राप्त नहीं हुई। पूर्व में भगवानपुरा ग्राम पंचायत रोपा क्षैत्र में आता था लेकिन परिसीमन में वर्तमान में फलासिया ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम हैं। उक्त पटटा संबंधित रिकार्ड ग्राम पंचायत कार्यालय में नहीं हैं।'' इस पर निगराकार द्वारा हाल ग्राम पंचायत फलासिया में उक्त पटटे के संबंध में जानकारी चाही गयी। जिस पर ग्राम पंचायत फलासिया द्वारा भी ऐसा कोई रिकार्ड नहीं होना बताया हैं। इस प्रकार गैर निगराकारान् द्वारा बताया गया पटटा का रिकार्ड ग्राम पंचायत रोपा एवं ग्राम पंचायत फलासिया के अस्तित्व में नही हैं। उक्त पटटे की पत्रावली सं. 16 चली ही नही और न ही उस पत्रावली में दिनांक 09.09.1958 को उक्त पटटा जारी करने का कोई आदेश ही हुआ है। इस प्रकार विधि विरूद्व तरीके से जारी किया गया उक्त पटटा अवैध होकर खारिज किये जाने योग्य हैं। गैर निगराकार सं. 01 लगायत 02 द्वारा पंचायत राज नियम की धारा 142 से 157 की पालना नहीं की गयी हैं। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रोपां द्वारा जारीशुदा आवासीय भूमि का पटटा सं. 06 पत्रावली सं. 16 दिनांक 09.09.1958 को अपास्त किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 08.07.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 15 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पंचायत रोपां द्वारा नपति 100 फीट बाई 142 फीट कुल क्षैत्रफल 14200 वर्गफीट का आवासीय भूमि का पटटा गैर निगराकार सं. 05 से लगायत 12 के पूर्वज गौरू धाकड़ के पक्ष में जारी किया गया जो निगराकार की पैतृक जायदाद होकर निगराकार का भी उक्त जायदाद में 28 बाई 100 फीट पर विगत 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा हैं। इस आधार पर ग्राम पंचायत रोपां द्वारा जारी उक्त पटटा खारिज किये जाने योग्य हैं। निगराकार ने अपने हक हिस्से की जायदाद में पक्का निर्माण करवा रखा हैं। उक्त जारीशुदा पटटे की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किये जाने पर ग्राम पंचायत रोपां द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया कि '' गोरू पिता रूघनाथ धाकड निवासी भगवानपुरा ग्राम पंचायत रोपा बापी पटटा कमांक 06 दिनांक 09.09.1958 पत्रावली कमांक/ 16 ग्राम पंचायत रोपा द्वारा जारी किया हुआ है। उसकी पत्रावली उक्त कार्यालय में नही मिली। उक्त वर्ष की रोकड़ बही भी प्राप्त नहीं हुई। पूर्व में भगवानपुरा ग्राम पंचायत रोपा क्षैत्र में आता था लेकिन परिसीमन में वर्तमान में फलासिया ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम हैं। उक्त पटटा संबंधित रिकार्ड ग्राम पंचायत कार्यालय में नहीं हैं।'' इस पर निगराकार द्वारा हाल ग्राम पंचायत फलासिया में उक्त पटटे के संबंध में जानकारी चाही गयी। जिस पर ग्राम पंचायत फलासिया द्वारा भी ऐसा कोई रिकार्ड नहीं होना बताया हैं। इस प्रकार गैर निगराकारान् द्वारा बताया गया पटटा का रिकार्ड ग्राम पंचायत रोपा एवं ग्राम पंचायत फलासिया के अस्तित्व में नही हैं। उक्त पटटे की पत्रावली सं. 16 चली ही नही और न ही उस पत्रावली में दिनांक 09.09.1958 को उक्त पटटा जारी करने का कोई आदेश ही हुआ है। इस प्रकार विधि विरूद्व तरीके से जारी किया गया उक्त पटटा अवैध होकर खारिज किये जाने योग्य हैं। गैर निगराकार सं. 01 लगायत 02 द्वारा पंचायत राज नियम की धारा 142 से 157 की पालना नहीं की गयी हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

पंचायत रोपां द्वारा जारीशुदा आवासीय भूमि का पटटा सं. 06 पत्रावली सं. 16 दिनांक 09.09.1958 को अपास्त किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत रोपां ने गोरू पिता रूगनाथ धाकड निवासी भगवानपुरा के नाम पर 14200 वर्गफीट भूमि का बापी पटटा जारी किया। निगराकार ने फोटोस्टेट प्रति के आधार पर निगरानी पेश की है। सिविल सूट पेण्डिग हैं। भंवर पिता घीसा ने सिविल सूट किया हैं। कोर्ट ने स्टे दे रखा हैं निगरानी 20.06.2016 को पेश की हैं। कब्जे बाबत् निगराकार ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत रोपां ने पत्रावली सं. 16 संवत् 2014 में 14200 वर्गफीट भूमि का बापी पटटा दिनांक 09.09.1958 को 38.50 रू. जमा कर गोरू पिता रूगनाथ धाकड़ निवासी भगवानपुरा के नाम जारी किया। उक्त बापी पटटा की फोटोप्रति प्रस्तुत की गयी। सरपंच ग्राम पंचायत रोपां से रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ। सचिव ग्राम पंचायत फलासिया ने भी पत्रावली सं. 16 दिनांक 07.07.1957 पटटा क्रमांक 06 ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। वर्ष 1958 की पत्रावली के अभाव में पटटे की वैधानिकता पर निर्णय भी लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। बापी पटटा दिनांक 09.09.1958 की सत्यापित प्रमाणित प्रति निगराकार द्वारा प्रस्तुत नही की गयी है। पक्षकारान् के मध्य सिविल न्यायाधीश न्यायालय जहाजपुर में वादग्रस्त पटटे की भूमि के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण सं. 11/15 मु.दी. में न्यायालय द्वारा गैर निगराकार सं. 05, 06 से लगातय 10 के पिता एवं 11 के पति एवं 12 के पक्ष में निगराकार के विरूद्व दिनांक 16.09.2015 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण सं. 12/15 ई.दी. जैरकार होकर आगामी पेशी दिनांक 02.08.2019 नियत हैं। निगराकार द्वारा निगरानी के समर्थन में बापी पटटा दिनांक 09.09.1958 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत नहीं करके फोटोप्रति प्रस्तुत की हैं। ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत रोपां एवं सचिव ग्राम पंचायत फलासिया ने भी उक्त बापी पटटा दिनांक 09.09.1958 की मूल पत्रावली कार्यालय ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत रोपां, ग्राम पंचायत फलासिया के द्वारा बापी पटटा दिनांक 09.09.1958 के संबंध में निगराकार द्वारा प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने से निगरानी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत रोपां पंचायत समिति जहाजपुर को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा